फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

श्रीमति पतासी बनाम श्रीमति कोयली

मुकदमा नम्बर :– 08/2018 T.2

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	12/3/25	...ाज कण्डोलैस / कार्य ... जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक ~~17.4.25~~ को पेश हो।	
	17/4/25	प्रा. प्रार्थी उप० बहस T.2. हेतु आयोजित है अतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली आगामी दिनांक 19/5/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	
	19/5/25	प्रा. प्रार्थी उप० आगामी पेशी पर आवश्यक कथन से बहस करे अन्यथा पत्रावली के गुण-दोष के आधार पर निस्तारण कर दिया जावेगा। पत्रावली आगामी दिनांक 23/5/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	
	23/5/25	प्रा. प्रार्थी उप० बहस T.2. सुनी गयी। प्रा. पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के पक्ष के सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति साबित होना बखूबी प्रतित होता है अतः प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा ता. फैसला मूल वाद तक के निस्तारण तक उभय पक्षकारान के परिपेक्ष्य अस्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जाता है कि विवादित ख.नं. 152, 153, 154 कुल किता 3 कुल रकबा 1.40 है० भूमि वाके ग्राम सीतारामपुरा प.ह. मलिकपुर तह० चौमूं जिला जयपुर के मौके व R.M.S. के अनुसार बनाये रखे। पत्रावली केवल सुनवाई होकर मूल वाद के संलग्न है तथा दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	